भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2158

06.08.2026 को उत्तर के लिए

वायु प्रदूषण की समीक्षा

2158 **श्री के. आर. एन. राजेश कुमारः**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या प्रमुख शहरों में वायु प्रदूषण के स्तर की समीक्षा की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं

(ग) क्या राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल रहा है; और

(घ) वायु गुणवत्ता में और सुधार लाने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री

(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (घ) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने शहरी इलाकों में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए राष्ट्रीय, राज्य और शहर स्तर पर स्वच्छ वायु कार्य योजना के कार्यान्वयन के माध्यम से 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 130 नॉन अटेनमेंट शहरों और दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम' (एनसीएपी) शुरू किया।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में सभी 130 शहरों के लिए वायु गुणवत्ता निष्पादन आकलन किया गया। 108 शहरों में पीएम10 के स्तर में 2017-18 की तुलना में 2025-26 के दौरान वार्षिक कमी दर्ज की गई; इनमें से 72 शहरों में 20% से अधिक और 26 शहरों में 40% से अधिक कमी आई है। साथ ही, वित्तीय वर्ष 2017-18 में छह शहरों की तुलना में वित्तीय वर्ष 2025-26 में 14 शहरों ने 'राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक प्राप्त किया। पीएम10 के स्तर के आधार पर 130 शहरों में वायु गुणवत्ता सुधार का विवरण **अनुलग्नक I** में दिया गया है।

एनसीएपी की निगरानी और समीक्षा वेब-आधारित 'प्राण' पोर्टल (नॉन-अटेनमेंट शहरों में वायु प्रदूषण के नियमन के लिए पोर्टल) के ज़रिए वास्तविक-समय के आधार पर की जाती है। यह पोर्टल कार्यक्रम के प्रबंधन और कार्यान्वयन के लिए एक केंद्रीय मंच के तौर पर काम करता है।

इसके अलावा, एनसीएपी संसाधनों को जुटाने पर ज़ोर देता है। इसके लिए केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के साथ-साथ राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन और नगर निगमों व शहरी विकास प्राधिकरणों जैसी एजेंसियों के संसाधनों को एक साथ लाया जाता है। सरकार के विभिन्न मंत्रालय/विभाग अपने बजट के अनुसार अपनी योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत निधियां उपलब्ध कराते हैं।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वायु प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने के लिए 'वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981' और 'पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986' लागू किए और इन अधिनियमों के तहत विभिन्न नियम और विनियम अधिसूचित किए।

औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय मुख्य रूप से उद्योगों द्वारा लागू किए जाते हैं। औद्योगिक उत्सर्जन नियमों की निगरानी और उन्हें लागू करने का कार्य राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड करते हैं। यह कार्य 'वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981' और 'जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974' के तहत 'सहमति तंत्र' के माध्यम से किया जाता है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 'पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986' की अनुसूची-I के तहत "विभिन्न उद्योगों से पर्यावरणीय प्रदूषकों के उत्सर्जन या निस्सरण के लिए मानक" अधिसूचित किए हैं। अब तक, 79 से अधिक उद्योग-विशिष्ट पर्यावरणीय मानक अधिसूचित किए जा चुके हैं। जिन औद्योगिक क्षेत्रों के लिए विशिष्ट मानक उपलब्ध नहीं हैं, उन पर 'पर्यावरण संरक्षण नियम, 1986' की अनुसूची-VI के तहत अधिसूचित सामान्य मानक लागू होते हैं।

सीपीसीबी और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियां(पीसीसी) उद्योगों से होने वाले उत्सर्जन की निगरानी करती हैं ताकि 'वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981' और 'पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986' के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित की जा सके।

निगरानी तंत्र को मजबूत करने और स्व-नियामक तंत्र के माध्यम से प्रभावी अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए, सीपीसीबी ने अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की सभी 17 श्रेणियों को 'ऑनलाइन निरंतर उत्सर्जन निगरानी प्रणाली' (ओसीईएमएस) स्थापित करने का निर्देश दिया।

वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों का विवरण **अनुलग्नक II** में दिया गया है।

**

अनुलग्नक I

वित्त वर्ष 2017-18 के मुकाबले वित्त वर्ष 2025-26 में एन सी ए पी के तहत 130 शहरों में पी एम10 की मात्रा में सुधार

राज्य	क्रम संख्या	शहरों	2017-18	2025-26	वित्तीय वर्ष 2017-18 के मुकाबले 2025-26 में % सुधार
			पीएम$_{10}$ की औसत सांद्रता (वित्तीय वर्ष) (µg/m ^{3})	पीएम$_{10}$ की औसत सांद्रता (वित्तीय वर्ष) (µg/m ^{3})	
आंध्र प्रदेश	1	विजयवाड़ा	91	66	27.5
	2	नेल्लोर	64	50	21.9
	3	राजमुंदरी	85	67	21.2
	4	अनंतपुर	78	64	17.9
	5	कुरनूल	79	65	17.7
	6	एलुरु	72	62	13.9
	7	कडपा	75	65	13.3
	8	ओंगोल	65	61	6.2
	9	चित्तूर	70	67	4.3
	10	गुंटूर	66	68	-3.0
	11	विजयनगरम	72	76	-5.6
	12	श्रीकाकुलम	69	75	-8.7
	13	विशाखापत्तनम	76	119	-56.6
असम	14	शिवसागर	73	41	43.8
	15	गुवाहाटी	103	73	29.1
	16	नलबाड़ी	87	72	17.2
	17	नगांव	82	68	17.1
	18	सिलचर	49	52	-6.1
बिहार	19	मुजफ्फरपुर	147	73	50.3
	20	पटना	172	112	34.9
	21	गया	79	97	-22.8

राज्य	क्रम संख्या	शहरों	2017-18	2025-26	वित्तीय वर्ष 2017-18 के मुकाबले 2025-26 में % सुधार
			पीएम10 की औसत सांद्रता (वित्तीय वर्ष) (µg/m 3)	पीएम10 की औसत सांद्रता (वित्तीय वर्ष) (µg/m 3)	
चंडीगढ़	22	चंडीगढ़	114	86	24.6
छत्तीसगढ़	23	दुर्ग- भिलाईनगर	86	56	34.9
	24	रायपुर	70	64	8.6
	25	कोरबा	57	68	-19.3
दिल्ली	26	दिल्ली	241	200	17.0
गुजरात	27	सूरत	130	79	39.2
	28	अहमदाबाद	164	101	38.4
	29	राजकोट	150	94	37.3
	30	वडोदरा	133	111	16.5
हरियाणा	31	फरीदाबाद*	229	182	20.5
हिमाचल प्रदेश	32	नालागढ़	146	68	53.4
	33	सुंदर नगर	78	46	41.0
	34	बद्दी	174	119	31.6
	35	परवाणू	66	47	28.8
	36	काला अंब	118	91	22.9
	37	दमताल	55	56	-1.8
	38	पांवटा साहिब	84	86	-2.4
जम्मू और कश्मीर	39	श्रीनगर*	132	80	39.4
	40	जम्मू	157	112	28.7
झारखंड	41	धनबाद	315	150	52.4
	42	रांची	141	108	23.4
	43	जमशेदपुर	135	148	-9.6

राज्य	क्रम संख्या	शहरों	2017-18	2025-26	वित्तीय वर्ष 2017-18 के मुकाबले 2025-26 में % सुधार
			पीएम$_{10}$ की औसत सांद्रता (वित्तीय वर्ष) (µg/m ^{3})	पीएम$_{10}$ की औसत सांद्रता (वित्तीय वर्ष) (µg/m ^{3})	
कर्नाटक	44	दावणगेरे	74	44	40.5
	45	हुबली, धारवाड़	79	61	22.8
	46	बेंगलुरु	92	76	17.4
	47	गुलबर्गा / कलबुर्गी	55	48	12.7
मध्य प्रदेश	48	उज्जैन	93	69	25.8
	49	जबलपुर	101	76	24.8
	50	ग्वालियर	126	115	8.7
	51	भोपाल	112	103	8.0
	52	इंदौर	82	78	4.9
	53	सागर	73	76	-4.1
	54	देवास	83	90	-8.4
महाराष्ट्र	55	ग्रेटर मुंबई	161	81	49.7
	56	थाइन	138	81	41.3
	57	अकोला	111	67	39.6
	58	बदलापुर	160	104	35.0
	59	उल्हासनगर	153	106	30.7
	60	वसई विरार	99	69	30.3
	61	अमरावती	102	74	27.5
	62	लातूर	82	61	25.6
	63	कोल्हापुर	89	72	19.1
	64	जलना	99	84	15.2
	65	सांगली	87	78	10.3

राज्य	क्रम संख्या	शहरों	2017-18	2025-26	वित्तीय वर्ष 2017-18 के मुकाबले 2025-26 में % सुधार
			पीएम$_{10}$ की औसत सांद्रता (वित्तीय वर्ष) (µg/m ^{3})	पीएम$_{10}$ की औसत सांद्रता (वित्तीय वर्ष) (µg/m ^{3})	
महाराष्ट्र	66	सोलापुर	81	73	9.9
	67	पुणे	102	97	4.9
	68	नासिक	82	80	2.4
	69	नवी मुंबई	88	86	2.3
	70	नागपुर	100	98	2.0
	71	औरंगाबाद	75	76	-1.3
	72	चंद्रपुर	118	130	-10.2
	73	जलगांव	70	86	-22.9
मेघालय	74	बर्निहाट	175	103	41.1
नगालैंड	75	कोहिमा	127	47	63.0
	76	दीमापुर	142	110	22.5
ओडिशा	77	कलिंग नगर	109	92	15.6
	78	राउरकेला	99	91	8.1
	79	तालचेर	113	112	0.9
	80	बालासोर	84	88	-4.8
	81	कटक	93	99	-6.5
	82	भुवनेश्वर	85	93	-9.4
	83	अंगुल	97	109	-12.4
पंजाब	84	अमृतसर	189	92	51.3
	85	जालंधर	178	103	42.1
	86	नया नंगल	87	59	32.2
	87	खन्ना	142	98	31.0
	88	लुधियाना	168	120	28.6

राज्य	क्रम संख्या	शहरों	2017-18	2025-26	वित्तीय वर्ष 2017-18 के मुकाबले 2025-26 में % सुधार
			पीएम$_{10}$ की औसत सांद्रता (वित्तीय वर्ष) (µg/m ^{3})	पीएम$_{10}$ की औसत सांद्रता (वित्तीय वर्ष) (µg/m ^{3})	
पंजाब	89	डेरा बाबा नानक	79	58	26.6
	90	मंडी गोबिंदगढ़	148	120	18.9
	91	पटियाला	106	93	12.3
	92	डेरा बस्सी	88	92	-4.5
राजस्थान	93	जोधपुर	189	115	39.2
	94	अलवर	152	101	33.6
	95	कोटा	139	115	17.3
	96	जयपुर	172	143	16.9
	97	उदयपुर	127	108	15.0
तमिलनाडु	98	तूतीकोरिन	123	65	47.2
	99	त्रिची	88	52	40.9
	100	मदुरै	72	47	34.7
	101	चेन्नई	66	69	-4.5
तेलंगाना	102	हैदराबाद	110	80	27.3
	103	संगारेड्डी	85	77	9.4
	104	नलगोंडा	59	70	-18.6
उत्तर प्रदेश	105	बरेली	207	63	69.6
	106	वाराणसी	230	75	67.4
	107	फिरोजाबाद	247	98	60.3
	108	कानपुर	227	95	58.1
	109	मुरादाबाद	222	95	57.2
	110	गोरखपुर	150	75	50.0

राज्य	क्रम संख्या	शहरों	2017-18	2025-26	वित्तीय वर्ष 2017-18 के मुकाबले 2025-26 में % सुधार
			पीएम$_{10}$ की औसत सांद्रता (वित्तीय वर्ष) (µg/m ^{3})	पीएम$_{10}$ की औसत सांद्रता (वित्तीय वर्ष) (µg/m ^{3})	
उत्तर प्रदेश	111	रायबरेली	145	77	46.9
	112	लखनऊ	253	135	46.6
	113	आगरा	202	125	38.1
	114	इलाहाबाद	169	106	37.3
	115	झांसी	109	69	36.7
	116	गाजियाबाद	285	189	33.7
	117	गजरौला	204	141	30.9
	118	नोएडा	229	171	25.3
	119	खुर्जा	195	147	24.6
	120	अनपरा	175	144	17.7
	121	मेरठ	159	147	7.5
उत्तराखंड	122	देहरादून	250	101	59.6
	123	ऋषिकेश	129	84	34.9
	124	काशीपुर	99	78	21.2
पश्चिम बंगाल	125	आसनसोल	147	82	44.2
	126	दुर्गापुर	150	87	42.0
	127	कोलकाता	147	87	40.8
	128	हावड़ा	139	104	25.2
	129	हल्दिया	92	73	20.7
	130	बैरकपुर	86	78	9.3

* फरीदाबाद और श्रीनगर के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 के पीएम10 स्तर उपलब्ध नहीं हैं। फरीदाबाद के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 के पीएम10 स्तर और श्रीनगर के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 के पीएम10 स्तर को आधार माना गया है।

अनुलग्नक II

वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

1.0 वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को नियंत्रित करने के उपाय:

- देश के बाकी हिस्सों के लिए 1 अप्रैल, 2020 से बीएस-IV से सीधे बीएस-VI ईंधन मानकों को अपनाना।
- अप्रैल 2020 से पूरे देश में बीएस-VI मानकों वाले वाहनों की शुरुआत।
- वाहनों में ईंधन भरते समय होने वाले उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में प्रति माह 100 कि.ली. से अधिक और 1 लाख से 10 लाख के बीच आबादी वाले शहरों में प्रति माह 300 कि.ली. से अधिक पेट्रोल बेचने वाले नए और मौजूदा पेट्रोल पंपों पर वेपर रिकवरी सिस्टम (वीआरएस) स्थापित करना।
- भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय की 'इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024' (ईएमपीएस 2024) के ज़रिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना।
- 'किफ़ायती परिवहन के लिए एक टिकाऊ विकल्प' (एसएटीएटी) पहल शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य कम्प्रेस्ड बायो-गैस (सीबीजी) उत्पादन संयंत्र लगाना और ऑटोमोटिव ईंधन के तौर पर इस्तेमाल के लिए बाज़ार में सीबीजी उपलब्ध कराना है।
- विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार ई-वाहनों के लिए चार्जिंग अवसंरचना (बुनियादी ढांचा) स्थापित करना।
- ट्रैफिक मूवमेंट के साथ तालमेल बिठाने/ लेन-ड्राइविंग के लिए इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम (आईटीएस) शुरू करना।
- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 'वाहन स्क्रैपिंग नीति' को लागू करने के लिए ज़रूरी ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से 'पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा' (आरवीएसएफ) और 'ऑटोमेटेड टेस्टिंग सिस्टम' (एटीएस) की स्थापना के बारे में अधिसूचना जारी किए हैं।
- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा पूरे देश में 'प्रदूषण नियंत्रण' (पीयूसी) प्रमाण पत्र प्रणाली कार्यक्रम को बेहतर और मज़बूत बनाना।

2.0 औद्योगिक उत्सर्जन को नियंत्रित करने के उपाय:

- निगरानी तंत्र को मज़बूत करने और स्व-नियामक तंत्र के ज़रिए नियमों की प्रभावी ढंग से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, सीपीसीबी ने अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की सभी 17 श्रेणियों को ओसीईएमएस लगाने का निर्देश दिया।

- सीपीसीबी ने 12.02.2025 के निर्देश के ज़रिए कुल 419 सेक्टर और उप-सेक्टर को लाल (125), नारंगी (137), हरा (61), सफेद (87) और नीली (9) श्रेणियों में बांटा है।
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की अनुसूची-I: 'विभिन्न उद्योगों से पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन या निस्सरण के लिए मानक' के तहत उद्योग-विशिष्ट निस्सरण मानक अधिसूचित करता है। अब तक, 79 औद्योगिक सेक्टरों (जिनमें 56 सेक्टर के लिए उत्सर्जन मानक शामिल हैं) के लिए उद्योग-विशिष्ट पर्यावरण मानक अधिसूचित किए जा चुके हैं। जिन औद्योगिक सेक्टरों के लिए विशिष्ट मानक उपलब्ध नहीं हैं, उन पर पर्यावरण संरक्षण नियम, 1986 की अनुसूची-VI के तहत अधिसूचित किए गए सामान्य मानक लागू होंगे।
- जिन प्रक्रियाओं के लिए अनुमति दी गई है उन्हें छोड़कर, 26 जुलाई, 2018 से देश में आयातित पेट कोक के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है।
- सीपीसीबी ने 800 कि.वा. तक की सकल मैकेनिकल पावर वाले डीज़ल पावर जेनरेटिंग सेट इंजन के लिए रेट्रो-फिट उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण (आरईसीडी) की उत्सर्जन अनुपालना परीक्षण के लिए प्रणाली और प्रक्रिया तैयार किया है।
- 2022 में, सीपीसीबी ने अनिवार्य किया कि नए ईंट-भट्ठे ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी, वर्टिकल शाफ़्ट या पाइप्ड प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल करें और विशिष्ट मानकों का पालन करें। साथ ही, मौजूदा भट्ठों को भी इन प्रौद्योगिकीयों में बदलना होगा या मंज़ूरी प्राप्त ईंधन का इस्तेमाल करना होगा।
- 2023 में, सीपीसीबी ने 800 कि.वा. तक के डीज़ल जेनरेटर (डीजी सेट) के लिए ज़्यादा सख़्त उत्सर्जन मानक (सीपीसीबी IV+) लागू किए। इसके तहत, जहाँ गैस इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है, वहाँ डुअल-फ़्यूल सिस्टम (70% गैस, 30% डीज़ल) का इस्तेमाल ज़रूरी कर दिया गया और कम से कम 70% PM कैप्चरिंग क्षमता वाले रेट्रो फिट उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण (आरईसीडी) लगाना अनिवार्य कर दिया गया।

3.0 हवा की गुणवत्ता की निगरानी और नेटवर्क

- राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक(एक्यूआई) 2015 में लॉन्च किया गया था। प्रतिदिन वायु गुणवत्ता बुलेटिन के ज़रिए सर्वसाधारण तक जानकारी पहुंचाई जा रही है।
- परिवेशी वायु गुणवत्ता नेटवर्क: देश में 1646 परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन (593 लगातार चलने वाले और 1053 मैनुअल) का नेटवर्क है, जो 28 राज्यों और 7 संघ राज्य क्षेत्रों के 603 शहरों को कवर करता है।
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) एक केंद्रीकृत वायु गुणवत्ता निगराना पोर्टल चलाता है, जिसमें प्रत्येक घंटे पीएम सांद्रता, निगरानी स्टेशनों का लाइव वायु गुणवत्ता

डेटा और लाइव वायु गुणवत्ता सूचकांक जैसी अलग-अलग जानकारी को ट्रैक किया जाता है।

- पूरे भारत के शहरों के लिए एक्यूआई की जानकारी देने वाला एक्यूआई बुलेटिन प्रतिदिन सीपीसीबी की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाता है।

4.0 सी&डी अपशिष्ट और एमएसडब्ल्यू

- सीपीसीबी ने निम्नलिखित दिशानिर्देश प्रकाशित किए हैं (जो सीपीसीबी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं):

1. मार्च 2017 में 'निर्माण और विध्वंस(सी&डी) अपशिष्ट का पर्यावरणीय प्रबंधन'
2. नवंबर 2017 में 'निर्माण सामग्री और सी&डी अपशिष्ट को संभालने में धूल कम करने के उपायों पर दिशानिर्देश'
3. खुले की आग और लैंडफिल में आग लगने की समस्या से निपटने के लिए बायो-माइनिंग और बायो-रेमेडिएशन के ज़रिए पुराने अपशिष्ट (लेगेसी वेस्ट) का निपटान

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 'निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2025' अधिसूचित किए, जो 1 अप्रैल, 2026 से लागू होंगे। ये नियम अपशिष्ट पैदा करने वालों (स्रोत पर) और अलग-अलग हितधारकों की भूमिकाओं और जवाबदेही पर ज़ोर देते हैं, जिसमें अपशिष्ट पृथ्थकरण, रिकवरी, दोबारा इस्तेमाल और रीसाइक्लिंग पर ध्यान दिया गया है। इन संशोधित नियमों में, निर्माण और विध्वंस गतिविधियों से बड़ी मात्रा में अपशिष्ट पैदा करने वालों के लिए बेहतर प्रबंधन के कई प्रावधान किए गए हैं, जिसमें ऐसे अपशिष्ट की रीसाइक्लिंग के लिए 'विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व' (ईपीआर) भी शामिल है।
- सीपीसीबी ने सभी एसपीसीबी/पीसीस को निर्देश जारी किए हैं कि वे 20,000 वर्ग मीटर से ज़्यादा क्षेत्रफल वाली निर्माण परियोजनाओं/साइट्स पर एंटी-स्मॉग गन लगाएं और धूल कम करने के उचित उपाय लागू करें। सीपीसीबी ने निर्माण और विध्वंस परियोजनाओं में एंटी-स्मॉग गन के इस्तेमाल के लिए दिशानिर्देश/तरीके जारी किए हैं।
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत 'ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) नियम, 2026' अधिसूचित किए, जो अप्रैल 2026 से लागू होंगे। संशोधित नियमों में 'सर्कुलर इकोनॉमी' और 'विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व' के सिद्धांतों को शामिल किया गया है, जिसमें अपशिष्ट के सही पृथ्थकरण और उसके प्रबंधन पर खास ध्यान दिया गया है। इन नियमों में नियमों का पालन न करने पर 'पॉल्यूटर पेज़' (प्रदूषण फैलाने वाला भुगतान करेगा) सिद्धांत के आधार पर पर्यावरण मुआवज़ा लगाने का प्रावधान है; इसमें बिना पंजीकरण के काम करना, गलत रिपोर्टिंग, जाली दस्तावेज़ जमा करना या ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के गलत तरीके अपनाना जैसे मामले शामिल हैं।

- सीपीसीबी ने जनवरी 2021 में सभी एसपीसीबी/पीसीसी को पुराने अपशिष्ट (लेगेसी वेस्ट) की बायो-माइनिंग से जुड़े एसडब्ल्यूएम नियम-2016 के प्रावधानों को लागू करने के निर्देश जारी किए।

- सीपीसीबी ने मई 2022 में सभी एसपीसीबी/पीसीस को एमएसडब्ल्यू डंपसाइट्स पर आग लगने की घटनाओं के संबंध में एसडब्ल्यूएम नियम-2016 को लागू करने के निर्देश जारी किए।

5.0 हितधारकों के साथ नियमित बातचीत, जनता और मीडिया तक पहुंच

- सीपीसीबी ने 'समीर' नाम का एक मोबाइल ऐप बनाया है, जिसमें एक्यूआई समेत कई पैमानों के आधार पर रियल-टाइम एम्बिएंट एयर क्वालिटी (आस-पास की हवा की गुणवत्ता) का डेटा मिलता है। 'समीर' ऐप जनता को एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण से जुड़ी शिकायतें दर्ज करने की सुविधा भी देता है और ऐसी शिकायतें अलग-अलग स्थानीय एजेंसियों को सौंपी जाती हैं।

- जनता तक पहुंचने के लिए एक समर्पित मीडिया कॉर्नर और ट्विटर व फेसबुक अकाउंट भी बनाए गए हैं।

- समीर ऐप और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर शिकायतों के समाधान की निगरानी की जाती है और समाधान की स्थिति संबंधित एजेंसियों के साथ साझा की जाती है।

- सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर रोज़ाना एक्यूआई की स्थिति साझा की जाती है। साथ ही, वायु प्रदूषण, पटाखे, वाहनों से होने वाला प्रदूषण, पराली जलाना, टिकाऊ जीवनशैली आदि से जुड़े विभिन्न अभियान और जानकारीपूर्ण पोस्ट भी नियमित रूप से सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर पोस्ट किए जाते हैं।
